

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
 एफ०एफ०पी० भवन, द्वितीय तल्ला, धुर्वा, राँची-834004.
 दूरभाष सं०-0651-2331828 Email – jtdcltd@gmail.com

पत्रांक : 890 / 2016
 दिनांक : 10.12.2016

इच्छा की अभिव्यक्ति का पुनः आमंत्रण

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड निम्नलिखित 16 (सोलह) परिसम्पत्तियों को समुचित रूप से विकसित कर संचालन एवं प्रबंधन हेतु निबंधित ट्रस्ट, सोसाईटी, धारा 25/8 की कम्पनी (N.G.O.) तथा स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) जो निम्नांकित अर्हता पूर्ण करते हो से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है।

क्र० सं०	परिसम्पत्ति का नाम	जिला	आधार राशि	तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का निर्धारित स्थान एवं तिथि
1	पर्यटक भवन, रामरेखाधाम	सिमडेगा	75,000/-	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची दिनांक : 04.01.2017 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से।
2	रेस्टूरेन्ट सह हॉल, पालकोट	गुमला	60,000/-	
3	मार्गीय सुविधा केन्द्र, मंझाटोली	गुमला	75,000/-	
4	पर्यटक भवन, बारीडीह	जमशेदपुर	1,00,000/-	
5	चिल्ड्रेन पार्क, सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	पूर्वी सिंहभूम	25,000/-	
6	बहुउपयोगी भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2,00,000/-	
7	बहुउपयोगी भवन, शिवपुर, रत्नेश्वरधाम	गोड्डा	1,00,000/-	
8	बहुउपयोगी भवन, धमसा मंदिर	गोड्डा	2,00,000/-	
9	बहुउपयोगी भवन, बुद्धई मंदिर, मधुपुर	देवघर	2,00,000/-	
10	बहुउपयोगी भवन, पथरौल मंदिर, मधुपुर	देवघर	60,000/-	
11	मार्गीय सुविधा केन्द्र, महेशपुर	पाकुड़	60,000/-	
12	संस्कार भवन, विन्दुबासिनी मंदिर, बरहरवा	साहिबगंज	60,000/-	
13	विवाह मंडप एवं टूरिस्ट लॉज, चौगनाधाम, छत्तरपुर	पलामू	60,000/-	
14	पर्यटक भवन, गोदरमाना	गढ़वा	60,000/-	
15	बहुउपयोगी भवन, हरिहरधाम	गिरिडीह	1,00,000/-	
16	धर्मशाला, पर्यटक केन्द्र, रसोई घर धोरीमाता मरियम, फूसरो	बोकारो	1,00,000/-	

अर्हता :-

1. N.G.O./S.H.G. कम से कम विगत पाँच वर्षों से कार्य कर रहे हों।
2. विगत पाँच वर्ष में कम से कम तीन वर्ष सरकारी कार्य का निष्पादन किए हों एवं सरकारी राशि का सफलता पूर्वक उपयोग किए हों, जिसमें पिछले एक वर्ष अनिवार्य है।
3. N.G.O./S.H.G. ने कम से कम विगत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरणी तैयार किया हो जिसका चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित की गई प्रति संलग्न करना होगा।

इच्छुक N.G.O./S.H.G. इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रारूप झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची से दिनांक 13.12.2016 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 03.01.2017 अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय अवधि में रू० 500.00 (पाँच सौ) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/tourism से डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किए गए प्रपत्र को जमा करते समय उसके साथ 500.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति सम्पूर्ण प्रपत्रों सहित दिनांक 03.01.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक निगम कार्यालय (झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, बिरसा विहार कम्पलेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा की जा सकती है।

ह०/—

प्रबंध निदेशक

झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची।

इच्छा की अभिव्यक्ति का पुनः आमंत्रण प्रपत्र

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड निम्नलिखित 16 (सोलह) परिसम्पत्तियों को समुचित रूप से विकसित कर संचालन एवं प्रबंधन हेतु निबंधित ट्रस्ट, सोसाईटी, धारा 25/8 की कम्पनी (N.G.O.) तथा स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) जो निम्नांकित अर्हता पूर्ण करते हो से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है।

1. परिसम्पत्तियों का विवरण तथा न्यूनतम आधार राशि

क्र० सं०	परिसम्पत्ति का नाम	जिला	आधार राशि	तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का निर्धारित स्थान एवं तिथि
1	पर्यटक भवन, रामरेखाधाम	सिमडेगा	75,000/-	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची दिनांक : 04.01.2017 प्रातः 11:00 बजे पूर्वाह्न से।
2	रेस्टूरेन्ट सह हॉल, पालकोट	गुमला	60,000/-	
3	मार्गीय सुविधा केन्द्र, मंझाटोली	गुमला	75,000/-	
4	पर्यटक भवन, बारीडीह	जमशेदपुर	1,00,000/-	
5	चिल्ड्रेन पार्क, सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	पूर्वी सिंहभूम	25,000/-	
6	बहुउपयोगी भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2,00,000/-	
7	बहुउपयोगी भवन, शिवपुर, रत्नेश्वरधाम	गोड्डा	1,00,000/-	
8	बहुउपयोगी भवन, धमसा मंदिर	गोड्डा	2,00,000/-	
9	बहुउपयोगी भवन, बुद्धई मंदिर, मधुपुर	देवघर	2,00,000/-	
10	बहुउपयोगी भवन, पथरौल मंदिर, मधुपुर	देवघर	60,000/-	
11	मार्गीय सुविधा केन्द्र, महेशपुर	पाकुड़	60,000/-	
12	संस्कार भवन, विन्दुबासिनी मंदिर, बरहरवा	साहिबगंज	60,000/-	
13	विवाह मंडप एवं टूरिस्ट लॉज, चौगनाधाम, छत्तरपुर	पलामू	60,000/-	
14	पर्यटक भवन, गोदरमाना	गढ़वा	60,000/-	
15	बहुउपयोगी भवन, हरिहरधाम	गिरिडीह	1,00,000/-	
16	धर्मशाला, पर्यटक केन्द्र, रसोई घर धोरीमाता मरियम, फूसरो	बोकारो	1,00,000/-	

- उपर वर्णित परिसम्पत्तियाँ चयनित N.G.O./S.H.G. को उनके कार्य अनुभव एवं उनके द्वारा प्रदर्शित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन जिसमें उनके द्वारा इच्छित परिसम्पत्ति का उपयोग, विकसित एवं संचालन करने की योजना प्रदर्शित हो के आधार पर चयन किया जायेगा।
- परिसम्पत्तियों का आवंटन 5+5 (दस) वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में परिसम्पत्ति का उन्नयन, संचालन बिजली विपत्र, जलकर विपत्र इत्यादि का भुगतान चयनित Trust/Society N.G.O./S.H.G. द्वारा किया जायेगा।
- तकनीकी आधार पर चयनित N.G.O./S.H.G. का ही पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन का निर्धारित अंक 50 होगा, जिसमें क्रम से उच्चतम अंक

पाने वाले तीन N.G.O./S.H.G. का चयन होगा जिसका वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा। जिनका वार्षिक लाईसेंस फीस का वित्तीय प्रस्ताव अधिकाधिक होगा उन्हें सफल घोषित किया जायेगा। अधिकाधिक प्रस्ताव देने वाले के द्वारा निर्धारित समय तक एकरारनामा नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय स्थान पर आने वाले N.G.O./S.H.G. को एकरारनामा करने के लिए चयन किया जा सकता है।

5. एकरारनामा के तीन महीने के अन्दर आगामी वार्षिक लाईसेंस फीस निगम मुख्यालय में अग्रिम के रूप में जमा करना होगा। वार्षिक लाईसेंस फीस अन्य कर सहित देय होगा यथा सर्विस कर इत्यादि।
6. चयनित N.G.O./S.H.G. प्रथम वर्ष के लिए प्रस्तावित लाईसेंस फीस के बराबर राशि सिक्क्यूरिटी राशि के रूप में एकरारनामा करने के पूर्व निगम को डी०डी० (Demand Draft) के रूप में जमा करेंगे जो एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निगम के प्रति बकाये की राशि, यदि कोई हो तो उससे सामंजित कर शेष राशि वापस कर दिया जायेगा।
7. निर्धारित राशि पर प्रति दो वर्षों में 10% की वृद्धि होगी जो मूल राशि पर ही गणना की जायेगी।
8. प्रस्तावित उन्नयन कार्य का DPR एकरारनामों के 15 दिन के अन्दर निगम को अनुमोदन हेतु समर्पित करना होगा। DPR अनुमोदन के पश्चात् उन्नयन कार्य करना होगा।
9. प्रथम वर्ष का लाईसेंस फीस एकरारनामा के तीन महीने के पश्चात् प्रारंभ होगा। इस तीन महीने की अवधि में उन्नयन कार्य पूर्ण करना होगा।
10. चयनित N.G.O./S.H.G. को आवंटन के पंद्रह दिन के अन्दर निर्धारित सिक्क्यूरिटी राशि जमा कर संलग्न एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।
11. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करने होंगे :-
 - क. विस्तृत आवेदन जिसमें परिसम्पत्ति का उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छा की अभिव्यक्ति शामिल हों जिसमें इच्छित परिसम्पत्ति का नाम, स्थान का विवरण हो। एक संस्था द्वारा निगम की तीन से अधिक परिसम्पत्ति का संचालन नहीं किया जा सकता है।
 - ख. N.G.O./S.H.G. के गठन से संबंधित दस्तावेज।
 - ग. N.G.O./S.H.G. के तरफ से अधिकृत व्यक्ति का अधिकार प्रपत्र।
 - घ. तीन वर्ष का आय-व्यय संबंधी विवरणी जो चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित हो।
 - ङ. कार्य अनुभव का Notarized प्रति।
 - च. पैन कार्ड की छायाप्रति।
 - छ. पावर पोइण्ट प्रेजेंटेशन का स्वसत्यापित हार्ड कॉपी एवं एक प्रति सीडी में उपलब्ध कराना होगा।
12. इच्छा की अभिव्यक्ति दो लिफाफे में देना होगा। एक लिफाफे में तकनीकी योग्यता संबंधी कागजात रखना होगा एवं उसे बन्द करके उस पर तकनीकी प्रस्ताव उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छा की अभिव्यक्ति "संबंधित परिसम्पत्ति" का नाम उद्धृत करना होगा। दूसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव उद्धृत होना चाहिए। ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द होना चाहिए और उसके उपर उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन की इच्छा की अभिव्यक्ति (परिसम्पत्ति का नाम) लिखा होना चाहिए।

13. इच्छुक NGO/SHG अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति समस्त प्रपत्रों सहित निर्देशित लिफाफे में बंद करके स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय बिरसा विहार टूरिस्ट कम्प्लेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची में दिनांक 27.12.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना होगा।
14. प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति का तकनीकी प्रस्ताव का सत्यापन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने का कार्य विभिन्न परिसम्पत्तियों के निकटतम स्थान जो प्रपत्र में वर्णित है के स्थान पर निर्दिष्ट तिथि को प्रातः 11:00 बजे इच्छुक NGO/SHG के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जाएगा। NGO/SHG का सचिव या उनके द्वारा अभिप्रमाणित अधिकृत एक व्यक्ति तकनीकी सत्यापन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय प्रस्ताव को खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
15. चयनित NGO/SHG को मात्र 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रुपये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट खर्च डी०डी० के रूप में एकरारनामे के पूर्व जमा करना होगा।
16. वर्णित परिसम्पत्तियों के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति तैयार करने एवं समर्पित करने में यदि कोई शंका हो तो jtdcltd@gmail.com पर E-mail कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा फोन नं०— 0651-2331828 से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
17. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति के आमंत्रण में वर्णित परिसम्पत्तियों का एवं वर्णित शर्तों में बदलाव कर सकता है, या इस आमंत्रण को पूर्णतया रद्द कर सकता है।

अर्हता :-

1. N.G.O./S.H.G. कम से कम विगत पाँच वर्षों से कार्य कर रहे हों।
2. विगत पाँच वर्ष में कम से कम तीन वर्ष सरकारी कार्य का निष्पादन किए हों एवं सरकारी राशि का सफलता पूर्वक उपयोग किए हों, जिसमें पिछले एक वर्ष अनिवार्य है।
3. N.G.O./S.H.G. ने कम से कम विगत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरणी तैयार किया हो जिसका चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित की गई प्रति संलग्न करना होगा।
4. निम्न अर्हता रखने वाले N.G.O./S.H.G. को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
 - a) संबंधित जिले में N.G.O./S.H.G. को झारखण्ड सरकार के साथ कार्य करने का अनुभव हों।
 - b) ऐसी संस्थाएँ जो ISO 9000 से मान्यता प्राप्त हो।
 - c) PPP Mode में आतिथ्य (Hospitality) के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।
 - d) अन्य राज्य में आतिथ्य (Hospitality) के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

इच्छुक N.G.O./S.H.G. इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रारूप झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची से दिनांक 13.12.2016 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 03.01.2017 अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय अवधि में रू० 500.00 (पाँच सौ) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/tourism से डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किए गए प्रपत्र को जमा करते समय उसके साथ 500.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति सम्पूर्ण प्रपत्रों सहित दिनांक 03.01.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक निगम कार्यालय (झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, बिरसा विहार कम्प्लेक्स, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा की जा सकती है।

ANNEXURE-1

यदि मूल लाईसेंस राशिX..... हो तो वार्षिक लाईसेंस राशि निम्नवत होगा।

लाईसेंस वर्ष	मूल देय राशि	वार्षिक वृद्धि की राशि
1	X	—
2	X	—
3	X+10%	X का 10%
4	X+10%	—
5	X+20%	X का 20%

यदि लाईसेंस की अवधि पाँच वर्ष के पश्चात् अगले पाँच वर्ष के लिए विस्तारित की जाती है तो पाँचवे वर्ष की देय राशि छठे वर्ष के लिए मूल राशि मानी जायेगी एवं उसके पश्चात् प्रति दो वर्ष में 10% वृद्धि होगी।

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची।

विषय :- (परिसम्पत्ति का नाम) का उन्नयन,
संचालन एवं प्रबंधन का वित्तीय प्रस्ताव।

महाशय,

मैं (NGO/SHG का नाम) के प्राधिकृत
व्यक्ति के अधिकार से (परिसम्पत्ति का नाम) के लिए
माँगे गए इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित वित्तीय प्रस्ताव देता हूँ।

हम रु० (रु०) (शब्दों में)
वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में प्रथम वर्ष के लिए अपना वित्तीय प्रस्ताव देते हैं।

उपर्युक्त वित्तीय प्रस्ताव सेवा कर रहित माना जाएगा।

द्वारा

(हस्ताक्षर)